

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 110] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 1981/फाल्गुन 26, 1902
No. 110] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 1981/PHALGUNA 26, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग संचालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1981

क्र. आ. 190 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन)
अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन सभी औद्योगिक उपक्रमों को जो उक्त अधि-
नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं या जिनकी द्वाबत उक्त अधिनियम के अधीन अनु-
ज्ञप्ति या अनुज्ञा जारी की गई है, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के

खण्ड (घ) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात् :—

- (1) यह कि यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञप्त या अनुज्ञात भारता से अधिक समस्त उत्पादन का निर्यात किया जाता है ;
- (2) यह कि औद्योगिक उपक्रम केवल निर्यात के लिए ऐसे उत्पादन के प्रयोजनार्थ देशी या आयातित अतिरिक्त मशीनरी नहीं लगाएगा :

परन्तु जहां ऐसा उत्पादन अनुज्ञप्त या रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञात भारता से अधिक किया जाता है और उसका निर्यात किया जाता है, वहां ऐसा भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 98 (अ.)/उ. वि. वि. आ./29ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट उत्पाद की बाबत नहीं किया जाएगा ।

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट उपबंध भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 98 (अ.)/उ. वि. वि. आ./29ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में, सिवाए इसके कि वर्तमान अधिसूचना द्वारा दी गई छूट, उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 98 (अ.)/उ. वि. वि. आ./29ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 की मद (3) के अधीन दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवस्थिति संबंधी मजदूरियों के होने पर भी उपलब्ध होगी ।

[क्र. सं. 10/34/80-एल पी]

बी. राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 1981

S.O. 190(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby exempts from the operation of clause (d) of sub-section (1) of the said Act and the rules made thereunder, all industrial undertakings registered under the said Act or in respect of which a licence or permission has been issued under the said Act, subject to the following conditions, namely :—

- (i) that the entire production in excess of registered or licensed or permitted capacity, as the case may be, is exported;

- (ii) that the industrial undertaking shall not instal additional machinery, indigenous or imported, only for the purpose of such production for export :

Provided that where such production in excess of licensed or registered or permitted capacity be undertaken and is exported, it shall not be undertaken in respect of a product specified in Schedule I to the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 98(E)/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973.

2. The provisions contained in this notification shall be in addition to and not in derogation of the provisions contained in the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 98(E)/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973, except that the exemption granted by the present notification shall be available notwithstanding the locational constraints specified in the second proviso under item (3) of the said notification No S O. 98(E)/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973.

[F. No. 10/34/80-LP]

B. ROY, Jt. Secy.

